

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ 8(110)त.शि./2019

जयपुर दिनांक 13.08.2021

आदेश
तकनीकी शिक्षा विभाग के निम्न कार्मिकों का स्थानान्तरण एवं पदस्थापन निम्नानुसार तत्काल प्रभाव से किया जाता है :-

क्र. सं.	कार्मिक का नाम श्री/श्रीमती/सुश्री	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को	विशेष विवरण
1	राजेश चेहवाल	प्रवक्ता यांत्रिकी	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, सीकर	राजकीय रामचन्द्र खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर	वरिष्ठ प्रवक्ता अतकनीकी पद के विरुद्ध
2	ऋषभ चौहान	प्रवक्ता कम्प्यूटर	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, राजसमन्द	राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, उदयपुर	प्रवक्ता इन्टीरियर डिजाईन पद के विरुद्ध
3	हेमन्त कुमार गर्ग	प्रवक्ता कम्प्यूटर	राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, गांधीनगर, जयपुर	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, अजमेर	प्रशासनिक
4	योगेश कुमार	प्रवक्ता कम्प्यूटर	राजकीय रामचन्द्र खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर (कार्यव्यवस्थार्थ)	राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, गांधीनगर, जयपुर	हेमन्त गर्ग के स्थान पर
5	दिनेश सिंह डोई	प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जालोर	राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, भरतपुर	प्रवक्ता अतकनीकी रसायन पद के विरुद्ध

जिन कार्मिकों के स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से किये गये हैं, उन्हें नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय होगा।

आज्ञा से

(डॉ. मनीष गुप्ता)

संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), तकनीकी शिक्षा ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा ।
3. निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय, जोधपुर।
4. प्रधानाचार्य सम्बन्धित राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय,को अविलम्ब पालनार्थ प्रेषित कर निर्देश है कि जिन जिलों में चुनाव आचार संहिता लागू है उनमें कार्यग्रहण करवाना हो अथवा कार्यमुक्त करना हो दोनों ही परिस्थितियों में कार्मिकों को निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक कार्यमुक्त नहीं किया जावे चाहे स्थानान्तरण उसी जिले में क्यों न किया गया हो।
5. सम्बन्धित कार्मिक ।
6. रक्षित पत्रावली ।

(डॉ. मनीष गुप्ता)

संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ 6(110)त.शि./2019

जयपुर दिनांक 13.08.2021

आदेश

तकनीकी शिक्षा विभाग के निम्न कार्मिकों का स्थानान्तरण एवं पदस्थापन/ कार्यव्यवस्थार्थ निम्नानुसार तत्काल प्रभाव से किया जाता है :-

क्र. सं.	कार्मिक का नाम श्री/श्रीमती/सुश्री	पदनाम	कहां से	कहां को	विशेष विवरण
1	सुनिता मीना	प्रवक्ता कम्प्यूटर	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जैसलमेर	राजकीय रामचन्द्र खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर	कार्यव्यवस्थार्थ
2	रेणु कुमारी	प्रवक्ता विद्युत	राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, भरतपुर	राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, बीकानेर	कार्यव्यवस्थार्थ

आज्ञा से

(~~डॉ. मनीष गुप्ता~~)

संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), तकनीकी शिक्षा ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा ।
3. निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय, जोधपुर।
4. प्रधानाचार्य सम्बन्धित राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय,को अविलम्ब पालनार्थ प्रेषित कर निर्देश है कि जिन जिलों में चुनाव आचार संहिता लागू है उनमें कार्यग्रहण करवाना हो अथवा कार्यमुक्त करना हो दोनों ही परिस्थितियों में कार्मिकों को निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक कार्यमुक्त नहीं किया जावे चाहे स्थानान्तरण उसी जिले में क्यों न किया गया हो।
5. सम्बन्धित कार्मिक ।
6. रक्षित पत्रावली ।

(~~डॉ. मनीष गुप्ता~~)
संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ 8(110)त.शि./2019

जयपुर दिनांक 13.08.2021

आदेश

तकनीकी शिक्षा विभाग के निम्न कार्मिकों का स्थानान्तरण एवं पदस्थापन निम्नानुसार तत्काल प्रभाव से किया जाता है :-

क. सं.	कार्मिक का नाम श्री/श्रीमती/ सुश्री	पदनाम	कहां से	कहां को	विशेष विवरण
1	सतीश नाथ	प्रवक्ता कम्प्यूटर	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, पाली	प्राविधिक शिक्षा मण्डल, जोधपुर	पुस्तकालयाध्यक्ष पद के विरुद्ध

आज्ञा से

(डॉ. मनीष गुप्ता)
संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), तकनीकी शिक्षा ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा ।
3. निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय, जोधपुर।
4. प्रधानाचार्य सम्बन्धित राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय,को अविलम्ब पालनार्थ प्रेषित कर निर्देश है कि जिन जिलों में चुनाव आचार संहिता लागू है उनमें कार्यग्रहण करवाना हो अथवा कार्यमुक्त करना हो दोनों ही परिस्थितियों में कार्मिकों को निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक कार्यमुक्त नहीं किया जावे चाहे स्थानान्तरण उसी जिले में क्यों न किया गया हो।
5. सम्बन्धित कार्मिक ।
6. रक्षित पत्रावली ।

(डॉ. मनीष गुप्ता)
संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा